राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1980 / 2023

ऋषिराज मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. डिप्टी आयुक्त एवं उप सचिव (II), ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अधिशाषी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर।
4. श्री डूंगर राम गेदर, अध्यक्ष शिल्प एवं माटीकला बोर्ड, राजस्थान जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खाण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में ब्लॉक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 31.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति विजयनगर, श्रीगंगानगर में रिक्त पद पर किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का 8 माह की अल्प अवधि में ही स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी का राजनैतिक प्रभाव के कारण स्थानांतरण किया गया है। उनका आगे कथन है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके बावजूद भी अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी राज्य ग्रामीण विकास सेवा का अधिकारी है जो कि स्थानान्तरणीय पद है अपीलार्थी विशेष तौर से यह मांग नही कर सकता कि उसे उसके इच्छित स्थान पर ही पदस्थापित रखा जावे यह नियोक्ता का विवेकाधिकार है कि वह अपने

कार्मिक की सेवाऐं कब कहां और केसे लेवे। विवेकाधिकार को चुनौती देने का हक अपीलार्थी का नही है, कार्मिक स्थानान्तरण से उत्पन्न कठिनाईयो और व्यथा के संबध मे सक्षम अधिकारिता को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये बिना ही सीधे तौर पर स्थानान्तरण–पदस्थापन आदेश को चुनौती देने का विधिक अधिकार नही रखता। अपीलार्थी राज्य ग्रामीण विकास सेवा का अधिकारी है जो कि विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति सूरतगढ (श्रीगंगानगर) मे पदस्थापित है का पुर्णतया प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित को दृष्टिगत रखते सक्षम अधिकारिता द्वारा पंचायत समिति सूरतगढ (श्रीगंगानगर) से पंचायत समिति विजयनगर (श्रीगंगानगर) एक ही जिला श्री गंगानगर के अधीन लगभग 42 कि.मी. की दूरी पर ही स्थानान्तरण किया गया है जारी आदेश दिनांक 31.07.2023 पुर्णतया विधिसम्मत होने से अपीलार्थी की उक्त अपील मय कोस्ट काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। आलौच्य आदेश में अपीलार्थी का स्थानांतरण उसी जिले में किया गया है, जो विधानसभा चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया गया है। वर्तमान में स्थानांतरण निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश पर किया गया है। राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध लागू नहीं होता है। वर्तमान स्थानांतरण विधानसभा चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित एंव प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है।

5. अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)